न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या :–35/2023

1. कालीबाई पति गणेशलाल रेगर निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
2. मंजूदेवी पति कैलाशचन्द्र रेगर निवासी चन्देरिया

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पिता खेमराज रेगर निवासी शंभुपुरा (बिछोर) तह0 बेगूँ
2. भैरूलाल पिता खेमराज रेगर निवासी शंभुपुरा (बिछोर) तह0 बेगूँ
3. पिंकी पत्नि बाबूलाल रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
4. संतोषबाई पत्नि कजोड रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
5. कंकु पुत्री रामचन्द्र रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
6. शंकर पिता रामचन्द्र रेगर मृतक के बजायः–
   - 6/1– कमली पत्नि शंकरलाल रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
   - 6/2– अनुराम पिता राजू रेगर ना.ब.संरक्षक माता कमला पति राजू
   - 6/3– अनिल पिता राजू रेगर ना.ब. सरंक्षक माता कमला पति राजू
   - 6/4– लक्ष्मी पिताराजू रेगर ना.ब. सरंक्षक माता कमला पति राजू
   - 6/5– कमला पित राजू रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
7. कजोड पिता रामचन्द्र रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
8. मदनलाल पिता रामचन्द्र रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
9. सोहनी पुत्री रामचन्द्र रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
10. कन्या पुत्री रामचन्द्र रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
11. हरकू पति रामचन्द्र रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
12. सुरेश पिता शंभुलाल रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
13. कन्या पति लक्ष्मण रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
14. गीता पति शंभुलाल रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
15. मुकेश पिता शंभुलाल रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
16. राधा पुत्री शंभुलाल रेगर निवासी शंभुपुरा बिछोर तह0 बेगूँ
17. रतन पिता लक्ष्मण रेगर ना.ब. संरक्षक माता कन्या पत्नि लक्ष्मण
18. जानीबाई पत्नि देवीलाल रेगर निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
19. भगवानलाल पिता देवीलाल रेगर निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
20. मंजू पुत्री देवीलाल रेगर निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
21. श्यामलाल पुत्र देवीलाल रेगर निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
22. सुन्दरबाई पुत्री रूपा जी रेगर निवासी बिछोर तह0 बेगूँ
23. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री राजसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक :– 29.01.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा शम्भुपुरा प0ह0 बिछोर के खाता संख्या 148 में अंकित आराजी नम्बर 1865/353 किता– 1 रकबा 1.1600 हैक्टर कृषि आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 18 से 22 के संयुक्त सहखातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे है।

यह कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 1865/353 के एवं आराजी संख्या 1847/353 के पश्चिमी दिशा 2000/353 के एवं आराजी संख्या 1847/353 के पश्चिमी दिशा से होते हुए प्रार्थीगण का उक्त कृषि आराजीयात पर पहुँचता है। जिसको प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना मे प्रस्तुत नजरी नक्शा मे स्पष्ट वर्णित किया है। प्रार्थीगण द्वारा वर्णित रास्ता मौके पर वर्तमान मे उपलब्ध है जिससे प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि आराजीयात पर पहूचकर कृषि कार्य कर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

है परन्तु उक्त कृषि आराजीयात पर पहुँचने का उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में रास्ता के रूप में अंकित नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण को उपरो क्त रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है एवं रास्ते के उपयोग करने से मना करते है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात पर कृषि कार्य करना संभव नहीं होता है जिससे प्रार्थीगण का खेत पडत पडा रह जाता है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थीगण को उक्त कृषि आराजीयात पर पहुचने के लिए बिलानाम सरकार रास्ता भूमि से खसरा सं. 2000/353, 1847/353 के पश्चिमी दिशा में होता हुआ जाना पडता है इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता राजस्व रिकोर्ड मे कायम किये जाने हेतु प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थीगण की मौजा शंभूपुरा बिछोर की आराजी नं0 1865/353 पर पहुचने के लिए उक्त नजरी नक्शे में वर्णित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण विगत काफी लम्बे अर्से से उक्त नजरी नक्शे में वर्णितानुसार रास्ते से ही अपनी आराजीयात पर आ जा रहे है, इसलिए प्रार्थीगण का यह सुस्थापित मार्ग रास्ता है। यह कि विपक्षी संख्या 1 से 17 रास्ते में वर्णित कृषि आराजीयात के खातेदार है एवं 18 से 22 सहखातेदार है जिन्होने प्रार्थी बनने से इन्कार कर दिया जिससे उन्हे विपक्षी बनाया गया है।

यह कि विपक्षीगण अपनी आराजीयात पर विद्यमान रास्ते से होकर प्रार्थीगण को आने जाने से रोक रहे है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजी पर कृषि उत्पादन फसल खाद बीज आदि नहीं ले जा पा रहे है एवं आने जाने में भारी कठिनाई हो रही है विपक्षीगण की आराजीयात पर प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने के लिए तैयार है।

यह कि यदि प्रार्थीगण को विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने से रोक दिया या प्रार्थीगण को रास्ता उपलबध न कराया गया तो प्रार्थीगण अपनी आराजयीात पर फसल का उत्पादन नहीं कर पायेगें व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात के समस्त हक अधिकारो से वंच्छित हो जावेगे।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र. स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते का प्रतिकर जमा किया जाकर उक्त नजरी नक्शे में वर्णित कृषि आराजीयात पर आने जाने के रास्ते को राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में विपक्षी संख्या 1 से 5 तक व 7 से 10 एवं 12 से 21 तक के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए पत्रावली में विपक्षी संख्या 1 से 4 व 22 की आरे से अधिवक्ता श्री राजसिंह चुण्डावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया तथा जवाब प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अस्वीकार है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1865/353 पर पहुंचने के लिए रास्ता आराजी नम्बर 390 के पूर्वी दिशा से होता हुआ उक्त आराजी 1865/353 मे जाता है तथा वर्षो से पूर्वी दिशा तरफ रास्ते से ही प्रार्थीगण आ जा रहे है। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 की आराजी 1847/353 से प्रार्थीगण कभी अपनी आराजी पर आये गये नहीं है और न ही वर्तमान में आ जा रहे है एवं न ही विपक्षीगण की आराजी में कोई रास्ता ही है। प्रार्थीगण हम विपक्षीगण को मात्र परेशान एवं जलील करने के लिए एवं हमारी आराजी में नया रास्ता कायम करने की गरज से यह झूंठा एवं कपोल कल्पित कथनो पर आधारित प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है जबकि प्रार्थीगण को उनकी आराजी पर आने जाने के लिए आराजी नम्बर 390 की पूर्वी दिशा में स्थित रास्ता है जहां से वर्षो से अपनी आराजी पर आ जा रहे है तथा उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण ने तथ्यो को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण ने गलत नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण्सा की आराजी 1865/353 पर पहुंचने के लिए विपक्षीगण द्वारा नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिसके बिलानाम सरकार रास्ते से 390 आराजी के पूर्वी दिशा के सहारे सहारे अपनी आराजी में पहूंचते है जहां पर वर्तमान में रास्ता मौजूद है तथा अर्सा कदीम से कई वर्षो से

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

का उपयोग व उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण गलत आराजी मे नया रास्ता कायम करना चाहते है। प्रार्थीगण गलत आराजी में नया रास्ता कायम करना चाहते है जिसका उनको कोई हक अधिकार नहीं हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात पर आने जाने के लिए अन्य रास्ता मौजूद है। कलम संख्या 5 अस्वीकार है। प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजी पर कभी भी नहीं आये गये है तथा न ही हम विपक्षीगण की आराजीयात में कोई रास्ता नहीं है।प्रार्थीगण ने मात्र हम विपक्षीगण को परेशान करने के लिए एवं हमारी खातेदारी आराजी में नया रास्ता कायम कराने की गरज से यह झूंठा एवं मनगढन्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया है जो चलने योग्य नहीं हैं।

यह कि अन्य सहखातेदारो ने पक्षकार बनने से इसलिए मना किया कि उनका कोई रास्ता विपक्षीगण 1 से 4 की आराजी पर मौजूद नहीं है एवं न ही वर्तमान में ही कोई रास्ता विद्यमान है। कलम संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण के पास पहले से अन्य रास्ता मौजूद हे जिसका उपयोग उपभोग कर प्रार्थीग्ण अपनी आराजी पर आ जा रहे है एवं कृषि कार्य कर रहे है। कलम संख्या 8 व 9 अस्वीकार है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षी सं0 1 से 4 की ओर से जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें। इस प्रार्थना पत्र में शेष विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आये ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है।

इस प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण का जवाब प्रस्तुत होने से पूर्व न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को उनकी कृषि आराजी पर पहुँचने के लिए रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार बेगूँ को भिजवाने हेतु लिखा गया था, जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 750 दिनांक 19.09.2024 के साथ रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत बिछोर , मौका पर्चा रिपोर्ट,नक्शाट्रेस एवं रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली भूमि की लम्बाई व चौडाई वाली भूमि की प्रचलित बाजार दर की रिपोर्ट जो कि तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा इस पत्रावली में भिजवाई गई का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया।

प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रार्थीया कालीबाई अपनी खातेदार भूमि ग्राम शम्भुपुरा पटवार हल्का बिछोर की आराजी संख्या 1866/353 रकबा 1.16 हैक्टर भूमि में आने जाने हेतु आराजी संख्या 2000/353 व 1847/353 में से रास्ता चाहा है वर्तमान में प्रार्थीया की आराजी पर पहुँच हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। यह प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी पर है।

प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षैत्रफल आराजी संख्या 2000/353 मे से रकबा 0.01 हैक्टर एवं आराजी संख्या 1847/353 रकबा 0.04 हैक्टर है। राजस्व रेकार्ड मय नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही में दर्शाया जाकर संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते की डीएलसी दरो के तहत मुआवजा राशि गणना की जाकर संलग्न है। रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी में वृक्ष फसल व पक्की संरचना नहीं है।

पत्रावली में तहसीलदार बेगूँ द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 ए राज0काश्त0 अधि0 में डीएलसी अनुसार राशि की गणना जो की गई वह निम्न प्रकार से की है :–

रिपोर्ट भू0अ0नि0 वृत बिछोर अनुसार ग्राम शम्भुपुरा प0ह0 बिदोर भू.अ.नि. वृत बिछोर में आराजी संख्या 2000/353 मे से 100 वर्गमीटर, आराजी संख्या 1847/353 मे से 400 वर्गमीटर कुल 500 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है।

पंजीयन की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का मूल्य – 1221772/–
डी एल सी का दुगुना – 12217772 गुणा 2 यानि 2443544/–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

(अ) आराजी संख्या 2000/353 के किसानो के दये मुआवजा राशि 2443544/10000गुणा 100 यानि 24440/–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	2000/353	कंकू पुत्री रामचंद्र जाति रेगर	1/8	3055
2–	2000/353	कजोड पुत्र रामचंद्र जाति रेगर	1/8	3055
3–	2000/353	कन्या पत्नी लक्ष्मण जाति रेगर	1/16	1527
4–	2000/353	कन्या पुत्री रामचन्द्र जाति रेगर	1/8	3055
5–	2000/353	गीताबाई पत्नी शम्भुलाल रेगर	1/32	764
6–	2000/353	मुकेश पुत्र शम्भुलाल जाति रेगर	1/32	764
7–	2000/353	मदनलाल पुत्र रामचन्द्र रेगर	1/8	3055
8–	2000/353	रतनलाल पुत्र लक्ष्मीण रेगर	1/16	1527
9–	2000/353	राधा पुत्री शम्भुलाल रेंगर	1/32	764
10–	2000/353	शंकरलाल पुत्र रामचंद्र रेगर	1/8	3055
11–	2000/353	सुरेश पुत्र शम्भुलाल रेगर	1/32	764
12–	2000/353	सोहनी पुत्री रामचंद्र रेगर	1/8	3055
		कुल देय राशि		24440/–

(ब) आराजी संख्या 1847/353 के किसानो के दये राशि 2443544/10000गुणा 400 यानि 97744/–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	1847/353	कैलाश पुत्र खेमराज जाति रेगर	1/4	24436
2–	1847/353	पिंकी पत्नी बाबु लाल जाति रेगर	1/4	24436
3–	1847/353	भैरूलाल पुत्र खेमराज जाति रेगर	1/4	24436
4–	1847/353	संतोष बाई पत्नी कजोडलाल रेगर	1/4	24436
		कुल देय मुआवजा राशि :–		97744/–

इस प्रकार प्रार्थीगण को विपक्षीगण के खातेदारी की ग्राम शम्भुपुरा प0ह0 बिदोर भू.अ.नि. वृत बिछोर में आराजी संख्या 2000/353 मे से 100 वर्गमीटर, आराजी संख्या 1847/353 मे से 400 वर्गमीटर कुल 500 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु कुल राशि 24440+97744 – 122184/– रूपये प्रार्थीगण को दिये जाने हेतु तहसील कार्यालय में जमा कराने होगें।

पत्रावली में रास्ते सम्बन्धी रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षीगण की बहस को प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.एक्ट के लिए ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए उनकी कृषि आराजीयात जो उनके कब्जे काश्त में है पर पहुँच के लिए विपक्षीगण की कृषि आराजी में से रास्ते रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के लिए निवेदन किया तथा रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली रास्ते की भूमि का प्रतिकर नियमानुसार जमा कराने की भी स्वीकृति भी उनके द्वारा दी गई है।

अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस जवाब अनुसार करते हुए कहा कि प्रार्थीगण की कृषि आराजी पर पहूँच के लिए अन्य और भी रास्ता है जो कि बिलानाम सरकार रास्ते से 390 आराजी के पूर्वी दिशा के सहारे सहारे अपनी आराजी में पहुँचते है, इस प्रकार प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात पर आने जाने के लिए अन्य रास्ता मौजूद है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी , नक्शाट्रेस व नजरी नक्शा आदि का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थीगण की कृषि आराजी मौजा शम्भुपुरा प0ह0 बिछोर की आराजी संख्या 1865/353 रकबा 1.1600 हैक्टर भूमि जो कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 18 से 22तक के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी है, विपक्षीगण संख्या 18 से 22 तक प्रार्थी बनने को सहमत नहीं होने से उन्हें प्रकरण विपक्षीगण बनाया गया है, नियमानुसार जब तक कृषि आराजीयात का संयुक्त खातेदारान के

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक कोई भी सहखातेदार किसी आराजी अपने स्वयं की आराजी नहीं कह सकते है, लेकिन विभाजन में न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी जाती है कि मौके पर विभाजन के लिए कब्जे को कम से कम डिस्टर्ब करते हुए विभाजन किया जावें। जहॉ तक संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 1865/353 पर पहुँच के लिए रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली कृषि आराजी 2000/353 व 1847/353 की भूमि अन्य विपक्षीगण की भूमि है, जिसमें से प्रार्थीगण को उनकी कृषि आराजी पर पहूँच हेतु रास्ता दिया जाना हम न्यायसंगत समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी मौजा शम्भुपुरा पटवार हल्का बिछोर की कृषि आराजी संख्या 1865/353 रकबा 1.1600 हैक्टर भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली विपक्षीगण की कृषि आराजीयात मौजा शम्भुपुरा प.ह.बिछोर की आराजी संख्या 2000/353 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि मे से 100वर्गमीटर आराजी एवं आराजी संख्या 1847/353 रकबा 1.3000 हैक्टर भूमि मे से 500 वर्गमीटर भूमि को सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में लिये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की प्रचलित दर अनुसार प्रतिकर राशि कुल राशि 122184/– विपक्षीगण को चुकाने हेतु तहसीलदार बेगूँ के कार्यालय में जमा कराने पर उक्त विपक्षीगण की कृषि भूमि मौजा शंम्भुपुरा की आराजी संख्या 2000/353 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि मे से 100वर्गमीटर आराजी एवं आराजी संख्या 1847/353 रकबा 1.3000 हैक्टर भूमि मे से 500 वर्गमीटर भूमि को सार्वजनिक रास्ते हेतु उपयोग में लिये जाने के लिए राजस्व रिकोर्ड में व नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा जमा कराने वाली कुल राशि 122184/–रूपये को विपक्षीगण को दिये जाने हेतु उपरोक्त आदेश में दर्शाये अनुसार भुगतान किये जाने के निर्देश तहसीलदार बेगूँ को दिये जाते है। व आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/51 दिनांक :–31.1.25

प्रार्थना पत्र संख्या 35/2023 व अनवान कालीबाई बनाम कैलाशचन्द्र वगै प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हुए आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ